:: न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध जमानत आवेदन सं. 221/2026

CIS No. 221/2026

CNR No. RJJW070005152026

इन्द्रसिंह पुत्र उदालाल, उम्र 35 साल, निवासी आसलपुर, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़ (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य .....अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 181/2026, पुलिस थाना घाटोली
अपराध अन्तर्गत धारा 127(2), 115(2), 308(5), 140(2), 351(3), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित:-

01. श्री दुर्गाशंकर गोयल, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक:-10.08.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अनुसंधान पत्रावली पेश की।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 05.06.2026 को परिवादी रामबिलास ने पुलिस थाना घाटोली पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसने करीब 18 माह पहले गोरधन से 87,000/- रूपये उधार लिये थे। दिनांक 04.06.2026 को दिन में 2 बजे करीब गोरधन उसकी मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 17 ए.एस. 7752 लेकर आया जो उसे हाट चौक में आयुष की दुकान के सामने मिला जिसने उससे कहा कि तूने मेरे रूपये नहीं दिये हैं। यह कहकर उसके साथ थप्पड़ों से मारपीट की तथा डरा धमकाकर मोटरसाईकिल पर बैठाकर अकलेरा अदालत में ले गया जहां पर उसे डरा धमकाकर 1,65,000/- रूपये के स्टॉम्प पेपर पर लिखापढ़ी करवाकर जबरन साईन करवाये व स्टॉम्प की नोटेरी करवाई। नई तहसील अकलेरा के पास रोड़ पर मारपीट की व गोरधन के साथ तीन साथी और आये जिसमें एक का नाम सन्तराम व दूसरे का ईश्वर था जिन्होंने उसके साथ लात घूसों से मारपीट की व जबरन मोटरसाईकिल पर बैठाने लगे। वह नहीं बैठा तो गोरधन इने फोन करके इन्द्रसिंह की एक इको कार

मंगवाई जो आधे घण्टे बाद अपनी मारूति को लेकर आया। उन तीनों ने उसका मुंह हाथ से बंद कर मारूति ईको से उसे उसके खेत पर करीब 4 बजे ले गये जहां पर भी तीनों ने उसके साथ मारपीट की। उसको खेत से आसलपुर बल्डी में ले गये जहां पर उसे जबरन शराब पिलाई और थप्पड़ों से मारपीट की। रात्रि करीब 9 बजे गोरधन ने उसके मोबाईल से सुरेश के मोबाईल नं. 7023288565 पर फोन किया तो उसके दोस्त सुरेश ने उसकी मां मांगीबाई से बात करवाई व उसके साथ मारपीट की व पूरी रात बल्डी में रखा। सुबह गोरधन उसे डरा धमकाकर उसके घर पर ले गया जहां से उसे जबरन मोटरसाईकिल पर बैठाकर गांव छुवाडिया एम.पी. में ले गये जहां से उसे गोरधन मोटरसाईकिल से आसलपुर लाया। गोरधन ने उसके पिता छोटूलाल के मोबाईल नं. 7726099559 पर फोन किया व उसको छोड़ने के लिए चार लाख रूपये की मांग कर गाली गलौच की व उसके पिता द्वारा पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, इत्यादि। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना घाटोली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 181/2026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 06.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को संबंधित न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा मे प्रेषित किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा द्वारा खारिज किया जा चुका है।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। परिवादी ने अभियुक्त गोरधन के साथ उधार लेनदेन के कारण उसका अपहरण व मारपीट का आरोप लगाया है। प्रार्थी/अभियुक्त का इस विवाद से कोई संबंध नहीं है। उसे केवल सहअभियुक्तगण के साथ मित्रता के कारण झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 06.08.2026 से अभिरक्षा में है। अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। सहअभियुक्तगण माननीय न्यायालय से जमानत पर आजाद है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया और जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज है-

क्र.सं.	थाना	मु.नं.	तारीख कायमी	धारा	चार्जशीट नं.	रिमार्क
01	घाटोली	153/24	01.05.24	341, 323/34 भादसं	86/27.05.24 केस नं. 633/24	आरसी 16/03.08.24
02	घाटोली	161/25	15.04.25	126(2), 115(2), 352,	98/02.05.25	आरसी

				117(2), 3(5) बीएनएस	केस नं. 440/25	07/07.05.25

6. प्रकरण में परिवादी ने अभियुक्त गोरधन से 87,000/- रूपये उधार लिये जाने और उक्त राशि की वसूली के लिए उससे एक स्टॉम्प पर लिखावट करवाए जाने एवं मारपीट करने के कथन किये हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा उसे एक कार में अपहरण कर अनेक स्थानों पर ले जाने और रूपये वसूल करने के लिए उद्यापित करने के आरोप लगाये हैं। परिवादी के शरीर पर खरोंच व नीलगूनुमा साधारण प्रकृति की चोटें पाई गई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में दिनांक 06.08.2026 को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से प्रश्नगत वाहन बरामद किया जा चुका है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। सहअभियुक्तगण के जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं एवं प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **इन्द्रसिंह** पुत्र उदालाल, उम्र 35 साल, निवासी आसलपुर, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़ (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा के संतोषप्रद 50,000/- की एक मोतबिर व्यक्ति की सुदृढ़ जमानत व 50,000/- रूपये का स्वयं का बंधपत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें कि वह न्यायालय में नियमित रूप से तारीख पेशी पर एवं जब भी न्यायालय द्वारा बुलाया जाएगा, उपस्थित होता रहेगा, तो प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना **घाटोली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. **181/2026** में जमानत पर आजाद कर दिया जावे। आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय को जरिये ई-मेल तुरन्त प्रेषित की जावे। एक प्रति जरिये ई-मेल सम्बन्धित कारागृह को प्रेषित हो।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 10.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड i

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.11 14:20:47 IST